

# हमारे पास है प्लान ए और प्लान बी भी।



फायदे	प्लान A	प्लान B
बीमाधन विकल्प उपलब्ध	₹3 लाख, ₹6 लाख, ₹9 लाख	₹12 लाख, ₹15 लाख, ₹18 लाख
अंतर्देशीय सड़क एम्बुलेन्स	₹1,500 तक	₹3,000 तक
पॉलिसी सर्विस गारंटी	पॉलिसी जारी करने में विलम्ब के लिए ₹10,000 की बीमा राशि	पॉलिसी जारी करने में विलम्ब के लिए ₹20,000 की बीमा राशि
दावा रहित नवीकरण के लिए दुर्घटना मृत्यु संरक्षण	ला. न.	पॉलिसीधारक-बीमाधारक के लिए ₹1 लाख का पर्सनल एक्सिडेंट-मृत्यु संरक्षण
निःशुल्क बीमा नवीनीकरण	ला. न.	एक बार नवीकरण प्रीमियम माफ, अगर पॉलिसीधारक बीमाकृत व्यक्ति किसी नामित क्रिटिकल बीमारी से पीड़ित हो
अस्पताल भर्ती से पूर्व तथा डिस्चार्ज पश्चात के खर्चें	60 दिनों तक	60 दिनों तक
मूल बीमा राशि का पुनःस्थापन	मूल बीमा राशि के 100% तक का पुनःस्थापन, अगर संबंधित बीमारी/जख्म के लिए 20% का भुगतान किया जाता है	मूल बीमा राशि के 100% तक का पुनःस्थापन, अगर संबंधित बीमारी/जख्म के लिए 20% का भुगतान किया जाता है
अस्पताल भर्ती इलाज के खर्चें		
अ) अस्पताल भर्ती उपचार		बीमाधन तक बीमा-रक्षित
ब) डे केयर उपचार		बीमाधन तक बीमा-रक्षित
अंगदाता के खर्चें	मूल बीमाधन के 50% तक बीमा-रक्षित, अधिकतम ₹5 लाख के अधीन	मूल बीमाधन के 50% तक बीमा-रक्षित, अधिकतम ₹5 लाख के अधीन
घरेलू अस्पतालभर्ती उपचार	मूल बीमाधन के 10% तक बीमा-रक्षित, अधिकतम ₹50,000 के अधीन	मूल बीमाधन के 10% तक बीमा-रक्षित, अधिकतम ₹50,000 के अधीन
वेलनेस		हां
संचयी बोनस	प्रत्येक दावा रहित वर्ष के लिए मूल बीमा राशि में 33.33% की वृद्धि, अधिकतम 100% प्रत्येक दावा वर्ष के लिए। मूल बीमा राशि में 33.33% की कमी; अधिकतम अर्जित संचयी बोनस तक।	प्रत्येक दावा रहित वर्ष के लिए मूल बीमा राशि में 33.33% की वृद्धि, अधिकतम 100% प्रत्येक दावा वर्ष के लिए। मूल बीमा राशि में 33.33% की कमी; अधिकतम अर्जित संचयी बोनस तक।
कॉल ऑप्शन*	अधिकतम बीमा राशि (मूल + संचयी बोनस), मूल बीमा राशि (पहली पॉलिसी अवधि के अंतर्गत) के चार गुना ₹50 लाख का न्यूनतम होगा। इस पर 60 वर्ष की उम्र तक अमल किया जा सकता है। कॉल विकल्प पर अमल करने से अतिरिक्त प्रीमियम भरना पड़ेगा	अधिकतम बीमा राशि (मूल + संचयी बोनस), मूल बीमा राशि (पहली पॉलिसी अवधि के अंतर्गत) के चार गुना ₹50 लाख का न्यूनतम होगा। इस पर 60 वर्ष की उम्र तक अमल किया जा सकता है। कॉल विकल्प पर अमल करने से अतिरिक्त प्रीमियम भरना पड़ेगा
दावा सेवा गारंटी	कैशलेस दावों की स्थिति में - सभी जानकारियों/दस्तावेज मिलने के बाद 6 व्यवसायिक घंटों से अधिक की देरी होने पर दावा राशि का 1% चुकाया जाता है, जो अधिकतम 6% तक है। प्रतिपूर्ति दावों की स्थिति में - सभी जानकारियों/दस्तावेज मिलने के बाद 21 दिनों से अधिक की देरी होने पर दावा राशि का 1% चुकाया जाता है, जो अधिकतम 6% तक है।	कैशलेस दावों की स्थिति में - सभी जानकारियों/दस्तावेज मिलने के बाद 6 व्यवसायिक घंटों से अधिक की देरी होने पर दावा राशि का 1% चुकाया जाता है, जो अधिकतम 6% तक है। प्रतिपूर्ति दावों की स्थिति में - सभी जानकारियों/दस्तावेज मिलने के बाद 21 दिनों से अधिक की देरी होने पर दावा राशि का 1% चुकाया जाता है, जो अधिकतम 6% तक है।
आयुष उपचार	100% बीमाकृत राशि तक बीमा-रक्षित	100% बीमाकृत राशि तक बीमा-रक्षित
आधुनिक उपचार	बीमाकृत राशि के 50% तक बीमा-रक्षित	बीमाकृत राशि के 50% तक बीमा-रक्षित

\*प्रत्येक 4 क्रमागत दावा-मुक्त पॉलिसी वर्षों के समापन पर एक बार।

## अपने योग्यता मानदंड जाँचिए

फायदे	प्लान A	प्लान B
प्रवेश करने की उम्र - अधिकतम	65 वर्ष, ₹3 लाख की बीमा राशि के लिए प्रवेश उम्र संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं	65 वर्ष
प्रवेश उम्र - न्यूनतम	फ्लोटर प्लान के अंतर्गत आश्रित बच्चे** 91 दिन से 25 वर्ष की आयु तक बीमा-रक्षित किए जा सकते हैं। 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे वैयक्तिक रूप से बीमा-रक्षित किए जा सकते हैं, जिनके साथ प्रस्तावक के रूप में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कम से कम एक सदस्य हो।	फ्लोटर प्लान के अंतर्गत आश्रित बच्चे** 91 दिन से 25 वर्ष की आयु तक बीमा-रक्षित किए जा सकते हैं। 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे वैयक्तिक रूप से बीमा-रक्षित किए जा सकते हैं, जिनके साथ प्रस्तावक के रूप में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कम से कम एक सदस्य हो।
निकास की उम्र	निकास की कोई उम्र नहीं है। यह पॉलिसी जीवनभर नवीकरण की योग्यता प्रदान करती है।	निकास की कोई उम्र नहीं है। यह पॉलिसी जीवनभर नवीकरण की योग्यता प्रदान करती है।
वैयक्तिक पॉलिसी	एक ही पॉलिसी के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा 6 सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से संरक्षित किया जा सकता है।	एक ही पॉलिसी के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा 6 सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से संरक्षित किया जा सकता है = 4 (बच्चे) + 2 (व्यस्क)
फ्लोटर पॉलिसी	एक ही फ्लोटर के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा 6 सदस्यों को संरक्षित किया जा सकता है = 4 (बच्चे) + 2 (व्यस्क)	एक ही फ्लोटर के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा 6 सदस्यों को संरक्षित किया जा सकता है = 4 (बच्चे) + 2 (व्यस्क)
पॉलिसी जारी करने से पहले स्वास्थ्य जांच	>= 46 वर्ष	>= 18 वर्ष

## शर्तें लागू होती हैं

कमरे की पात्रता	एकल निजी कमरा* दावा राशि का 20% फ्लोटर पॉलिसी में, सभी बीमाकृत व्यक्तियों के लिए अगर प्रवेश के समय सबसे बड़े सदस्य की उम्र 61 वर्ष या अधिक है। व्यक्तिगत पॉलिसी में, उन बीमाकृत व्यक्तियों के लिए प्रवेश के समय जिनकी उम्र 61 वर्ष या इससे अधिक है।
सह-भुगतान	एक ही पॉलिसी के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा 6 सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से संरक्षित किया जा सकता है = 4 (बच्चे) + 2 (व्यस्क)
पॉलिसी अवधि	1 वर्ष और 2 वर्ष

## प्रतीक्षा अवधि

प्रथम 30 दिन की प्रतीक्षा अवधि	किसी दुर्घटना से संबंधित दावों को छोड़कर किसी अन्य बीमारी के उपचार के लिए पॉलिसी तिथि शुरू होने से 30 दिनों तक।
पूर्व-विद्यमान बीमारियों की प्रतीक्षा अवधि	पीईडी के उपचार से संबंधित व्ययों के लिए 3 वर्ष की प्रतीक्षा अवधि। प्रथम पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि के बाद 36 माह की एक निरंतर बीमा-सुरक्षा अनिवार्य है।
निर्दिष्ट बीमा-सुरक्षा*	विशिष्ट बीमारियों पर 2 वर्ष की प्रतीक्षा अवधि लागू होती है। प्रथम पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि के बाद 24 माह की एक निरंतर बीमा-सुरक्षा अनिवार्य है।

रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी यूआईएन: RELHLP21514V022021

## पॉलिसी में सब कवर है, बस ये नहीं^

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में हम पारदर्शिता में विश्वास करते हैं। कोई दावा करते समय आपके सामने अचानक कोई अप्रिय बात न आए, इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं इस पॉलिसी के कुछ प्रमुख अपवर्जन, कृपया इन पर एक नजर डालिए:

- जाँच एवं मूल्यांकन/सकुशलता एवं कायाकल्प
- पूरक आहार एवं पदार्थ
- कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी, जब तक कि वह दुर्घटना/जलने या कैंसर के कारण नहीं हो।
- खतरनाक या रोमांचक खेल
- कानून का उल्लंघन
- मादक द्रव्यों एवं शराब का सेवन
- अपवर्तक त्रुटि 7.5 डायोप्ट्रे से कम
- बंध्यत्व एवं बाँझपन
- मातृत्व संबंधी व्यय
- दंत उपचार
- बाह्य जन्मजात विसंगति
- नॉन-एलोपैथी/उपचार आयुष को छोड़कर
- स्वयं को चोट पहुँचाना या आत्महत्या
- आणविक हमला/युद्ध

टिप्पणी: पॉलिसी प्रस्तावक को प्रस्ताव की तिथि पर कम से कम 18 वर्ष आयु का होना चाहिए।

#आपकी पॉलिसी में आपको एक 'एकल निजी कमरे' के लिए बीमा-सुरक्षा मिलती है। यदि आप पात्रता श्रेणी से आवास की किसी उच्च श्रेणी में भर्ती होते हैं, तो आपको बीमा-रक्षित चिकित्सा व्ययों के दरयोग्य भाग को वहन करना होगा।

\*बीमारियों की विस्तृत सूची के लिए हमारी वेबसाइट [www.reliancegeneral.co.in](http://www.reliancegeneral.co.in) पर उपलब्ध सूचीपत्र/पॉलिसी शब्दावली पढ़ें।


\*\*प्राकृतिक या वैधानिक रूप से दत्तक ग्रहण किए हुए एवं वित्तीय रूप से प्रस्तावक पर आश्रित।


^यह सूची सांकेतिक है। सामान्य एवं स्थाई अपवर्जनों को विस्तृत रूप से समझने के लिए हमारी वेबसाइट [www.reliancegeneral.co.in](http://www.reliancegeneral.co.in) पर उपलब्ध सूचीपत्र/पॉलिसी शब्दावली पढ़ें।

## रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी

## बस एक टैप में पाइए आसान चिकित्सा बीमा

Tech+ ❤️ = Live Smart





सेहत ही सोना है और इसे हमेशा चमकते रहना चाहिए। हालाँकि भागदौड़ भरी जीवनशैली, वायु प्रदूषण, अभूतपूर्व फ्लू संक्रमणों या फिर कुछ गलत डांस मूव लेने के कारण आप किसी भी समय चिकित्सा आपातकाल के शिकार हो सकते हैं। जल्दी स्वस्थ होने की आपकी कामना और एक त्वरित कैशलेस दावा निपटान की आपकी ज़रूरत, हम आपकी इन दोनों ही भावनाओं को समझते हैं। इसीलिए, हम रिलायंस जनरल इश्योरेन्स में आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी बीमा-सुरक्षा, जिसके अंतर्गत तुरंत सहायता के लिए तकनीक की सुविधा के साथ-साथ वह सहृदयता भी है, जो आपकी सेहत का खयाल रखने के लिए ज़रूरी है।

रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी Tech + ❤️ के साथ **Live Smart** का एक नया तरीका है।

## हमें चुनने के 5 अविश्वसनीय कारण



### ईजी मेडिकल इश्योरेन्स (ईएमआई)

आप जब भी कोई बीमा-सुरक्षा खरीदते हैं तो आप अधिकांशतः सबसे पहले उसकी प्रीमियम ही देखते हैं और ज़्यादातर लोगों का रुझान कम बीमाधन और सस्ती वार्षिक प्रीमियम की ओर हो जाता है। हमने आपके लिए निर्णय लेना आसान बना दिया है; रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी आसान मासिक और त्रैमासिक प्रीमियम किस्तों में आती है। इसलिए अब वही बीमाधन चुनिए जो पर्याप्त हो और वही ईएमआई चुनिए जो उपयुक्त हो।



### रिस्टर। रीफिल। रिचार्ज।

अगर कोई चिकित्सा दावा आने पर आपका पॉलिसी बीमाधन खत्म हो जाता है, तो हम इसे आपके उपयोग के लिए वापस 100% बहाल कर देते हैं। पॉलिसी वर्ष के दौरान संबंधित बीमारी, जिसके लिए पहले दावा किया गया था, के लिए बीमाधन के 20% का और किसी नई या असंबंधित बीमारी के लिए बीमाधन के 100% का उपयोग किया जा सकता है।



### दावा नहीं, तो बोनस पक्का।

अगर आप एक पॉलिसी वर्ष के दौरान कोई दावा नहीं करते हैं, तो हम आपको बिना किसी अतिरिक्त खर्च के, आपके मूल बीमाधन पर 33.33% का एक संव्ययी बोनस प्रदान करते हैं। लगातार 4 दावा-मुक्त वर्ष व्यतीत होने पर अंत में, आप अपने संव्ययी बोनस का उपयोग करते हुए अपने बीमाधन को दोगुना करने के लिए 'कॉल-ऑफ़शन' भी प्राप्त कर सकते हैं। कुल संव्ययी बोनस कभी भी बीमाधन के 100% से अधिक नहीं हो सकता है।



### त्वरित पॉलिसी। त्वरित दावा। हमारी गारंटी।

एक बार आपके सारे दस्तावेज मिल जाने पर हम आपको तेज़ी से पॉलिसी जारी होने की गारंटी देते हैं, लेकिन अगर पॉलिसी जारी करने में हमारी ओर से 10 कार्यदिवसों की देरी होती है, तो हम आपको ₹20,000. तक का एक बारगी अतिरिक्त बीमा धन का भुगतान करेंगे। दावों के दौरान अस्पताल के बिलों का निपटान करना अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और अगर दावा अनुरोध एवं दस्तावेज ठीक से मिल जाने के बावजूद हम 6 व्यवसायिक घंटों में किसी कैशलेस दावे का प्रत्युत्तर नहीं दे पाते हैं या 21 दिनों में दावे की प्रतिपूर्ति नहीं दे पाते हैं, तो हम दावा राशि के 1% को चुकाने के लिए उत्तरदायी हैं, जो अधिकतम 6% तक है।



### निःशुल्क बीमा नवीनीकरण, क्योंकि हमें आपका खयाल है।

अगर पॉलिसी के अंतर्गत बीमा-रक्षित आपके किसी प्रियजन को पहली बार इनमें से कोई भी गंभीर रोग होने का पता चलता है:

- निर्दिष्ट गंभीरता का कैंसर
- ओपन चेस्ट कोरोनरी आर्टरी बायपास ग्राफ्ट
- स्ट्रोक, जिसके परिणामस्वरूप स्थाई लक्षण हों
- मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कायम लक्षणों के साथ

तो उनकी बीमा-सुरक्षा का नवीनीकरण एक बार निःशुल्क किया जाएगा।

\*नियमों व शर्तों के अधीन होकर, आपको या तो किसी भी समय चिकित्सक/निःशुल्क हेल्पलाइन या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सेवाओं के लिए पोर्टल का उपयोग किसी सेवा प्रदाता या हमारे द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।

## इसके अलावा 5 और चीज़ें, जिससे आपका मन बने



### सकुशलता अत्यंत आवश्यक है और मानार्थ भी है।\*

जब आप हमारे पॉलिसी धारक होते हैं, तब आपको मिलती है मानार्थ सकुशलता सेवाएँ, हमारे हेल्थ पोर्टल और आरहेल्थ असिस्ट ऐप के माध्यम से, जहाँ आप चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं और डॉक्टर से टेलीफोन पर या ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं।



### हम आपके करीब हैं, और कैशलेस भी।

हम आपको संपूर्ण भारत में सर्वश्रेष्ठ उपचार और स्वास्थ्यलाभ के लिए अपना अस्पताल स्वयं चुनने की स्वतंत्रता देते हैं, फिर वो चाहे आपके घर के करीब हो, या फिर हमारे 7300+ अस्पतालों के विशाल नेटवर्क में से कोई हो, जहाँ आपको मिलती है कैशलेस दावे की सुविधा।



### हम आपके साथ रहेंगे जीवनभर।

आप चाहे हमें अभी चुनें या फिर बाद में, आप हमारी पॉलिसी का नवीनीकरण अपने जीवन में कभी भी करवा सकते हैं, बिना किसी निर्गम आयु के। इसका मतलब यह है कि हम आपके साथ हमेशा होंगे, जब भी आपको हमारी ज़रूरत होगी।



### वरिष्ठ नागरिक और विस्तारित परिवार के लिए बीमा-सुरक्षा।

हम 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बीमा-सुरक्षा प्रदान करते हैं (बीमाधन केवल 3 लाख तक) और साथ ही हम आपके पूरे परिवार को भी बीमा-रक्षित करते हैं, जिसमें आपका(की) जीवनसाथी, बेटा/बेटा, माता/पिता, भाई-बहन, दादी/दादा, पोती/पोता एवं बहू/दामाद शामिल हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक सुरक्षित रखना चाहते हैं।



### टैक्स की बचत वापस आपकी जेब में।

इस पॉलिसी में आपको टैक्स का फ़ायदा भी मिलता है। इसमें दी जाने वाली प्रीमियम आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 80डी के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र है। इस फ़ायदे के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

टिप्पणी: कर कानून परिवर्तन के अधीन हैं।



### कार कस्टमर डिस्काउंट

अगर आप एक रिलायंस कार बीमा ग्राहक हैं, तो रिलायंस प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी ग्राहकों के लिए प्रीमियम पर 5% का एक विशेष डिस्काउंट होगा।



### बालिका एवं एकल महिला डिस्काउंट

जब आप अपनी नन्ही बालिका को बीमा-रक्षित करते हैं या आप एकल महिला होती हैं, तो आपको मिलती है विशेष सुविधाएँ. बालिका या किसी एकल महिला के बीमा-रक्षण पर 5% का डिस्काउंट।



### फैमिली डिस्काउंट


अगर आप किसी फ़ैमिली फ़्लोटर प्लान के बजाय वैयक्तिक रूप से एक ही पॉलिसी में एक से अधिक परिजनों को बीमा-रक्षित करते हैं, तो परिवार के आकार के आधार पर एक विशेष डिस्काउंट का आनंद लीजिए. पॉलिसी प्रीमियम पर 5%/10% प्रस्तावित है।



### पॉलिसी अवधि छूट

7.5% छूट\* 2 वर्ष की पॉलिसी के लिए।

टिप्पणी: सभी डिस्काउंट्स का कुल योग समेकित रूप से 15% से अधिक नहीं होगा।



## दावे के लिए आसान कदम



आपके हेल्थ कार्ड पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर 1800 3009 का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल में भर्ती की हमारी हेल्थ क्लेमस टीम RCARE को सूचित करें।



RCARE को आवश्यक कागजात जमा कराएं।



नेटवर्क अस्पताल - RCARE द्वारा कैशलेस सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।  
गैर-नेटवर्क अस्पताल - भरपाई के दावों के लिए, कृपया हमारी पॉलिसी शब्द योजना में उल्लेख की गई प्रक्रिया का पालन करें।

एक स्मार्ट विकल्प चुनने के लिए, हमसे अभी संपर्क करें	
 वेबसाइट	reliancegeneral.co.in
 कॉल	1800 3009 (टोल फ्री) 022-4890 3009 (सशुल्क) <b>022-33834185 (सशुल्क) - वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशिष्ट लाइन।</b>
 वॉट्सएप	74004 22200

हमारे इश्योरेन्स एडवाइजर से संपर्क करें

ब्रोवोट स्पीड चाहिए?  
हमारे साथ डिजिटल बनिए।



छूटों की निषिद्धता - बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 41 के अनुसार, जैसा बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित है।

किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो। इस अनुच्छेद के प्रावधानों का अनुपालन करने से बूझ करने वाला व्यक्ति अर्धदंड का भागी होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

लाभों, संरक्षण, नियमों व शर्तों तथा अपवर्जनों की पूरी जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट [www.reliancegeneral.co.in](http://www.reliancegeneral.co.in) पर विज़िट करें और कृपया बिक्री के समापन से पहले सेल्स ब्रोशर, प्रॉस्पेक्टस और पॉलिसी की शब्द-योजना को ध्यानपूर्वक पढ़ें। टैक्स संबंधी कानूनों को बदला जा सकता है।

आईआरडीएआई रजिस्ट्रेशन नं. 103. रिलायंस जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: रिलायंस सेन्टर, साउथ विंग, चौथी मंजिल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास, सांताक्रूज़ (पूर्व), मुंबई-400 055. कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर: U66603MH2000PLC128300. रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी यूआईएन: RELHLP21514V022021. उपरोक्त प्रदर्शित टैड लोगो अनिल धीरुभाई अंबानी वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड का है और इसे लाइसेंस के अंतर्गत रिलायंस जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा उपयोग किया जाता है। रेल्स केवल थर्ड पार्टी के लिए निश्चित है\* किसी शब्द या अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कृपया अंग्रेजी विवरणिका भी देखें\*

हमें यहाँ फॉलो करें     An ISO 9001:2015 Certified Company